

प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही

दिनांक- 22.09.2026

♦ "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम एवं त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

♦ चोरी, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में 05 दोषी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्येक को ₹1500 अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से किया गया दण्डित

दिनांक 19.04.2005 को विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के साथ प्राणघातक हमला करने का प्रयास तथा भद्दी-भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही फसल काटकर उठा ले जाने तथा पुलिस कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप के सम्बन्ध में थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही से संबंधित मु0अ0सं0-127/2005, धारा 379, 504 व 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। *श्री अभिनव त्यागी* , पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में *"ऑपरेशन कन्विकशन"* के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से अधिकतम एवं त्वरित दण्ड दिलाए जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है। उक्त प्रकरण में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष एपीओ श्री वीरेंद्र वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर श्री आशीष कुमार सिंह द्वारा दिनांक 22.09.2026 को द्वारा अभियुक्तगण महेन्द्र पुत्र मुन्नीलाल, किशुनलाल पुत्र राजपति, फूलचन्द पुत्र सूर्यबली, पंचलालपुत्र सूर्यबली एवं राजकुमार पुत्र राजपति निवासीगण चककौलपति थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही को धारा 379, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा प्रत्येक को ₹1500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।